<u>रजिस्टर्ड डाक द्वारा</u>

<u>संख्याः 21/20201196 प्रो०/51-2020-14(10)/2020</u>

प्रेषक,

अजय कुमार ओझा,
अनु सचिव,
मुख्यमंत्री एवं प्रोटोकाल,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बलिया ।

<u>मुख्यमंत्री कार्यालय (प्रोटोकाल अनुभाग)</u> लखनऊः दिनांक 17 जुलाई, 2020

विषयः <u>जनपद-बलिया में राज्य अतिथियों के आगमन पर उनके सेवा सत्कार पर व्यय हेतु धनराशि की स्वीकृति</u>

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 66/वी०आई०पी०, दिनांक 23 जून, 2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य अतिथियों के परिवहन से संबंधित निम्न देयकों के भुगतान हेतु धनराशि रूपये 69,441=00 (रूपये उनहत्तर हजार चार सौं इक्तालीस मात्र) आवंटित करते हुए उसे व्यय करने की महामहिम राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती हैः-

क्रम सं०	मा० राज्य अतिथि का नाम/पदनाम/यात्रा की तिथि/वाहन संख्या/देयक संख्या/दिनांक	**<u>धनराशि</u>**
1-	श्री जे०पी० नड्डा जी, मा० केन्द्रीय मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। दिनांक 08-06-2018 से 09-06-2018 वाहन संख्या- यू०पी०-42, ए०टी०-8995, देयक संख्याः फैजा०-93, दिनांक 27-06-2018,	रू० 23,594=00
2-	श्री गिरिराज सिंह जी, मा० केन्द्रीय मंत्री, सूक्ष्म, लघु एवं उद्यम, भारत सरकार । दिनांक 07-10-2017 से 08-10-2017, वाहन संख्या- यू०पी०-32, इ०एन०-3488, देयक संख्याः ए०जेड०एम०-40, दिनांक 18-10-2017,	रू० 22,821=00
3-	मा० श्री सुशील कुमार मोदी, मा० उप मुख्यमंत्री, बिहार सरकार। दिनांक 26-01-2020 से 27-01-2020, वाहन संख्या- यू०पी०-32, के०एन०-8993, देयक संख्याः ए०जेड०एम०-98, दिनांक 13-02-2020,	रू० 23,026=00
	(रूपये उनहत्तर हजार चार सौं इक्तालीस मात्र) कुल योग	रू० 69,441=00

2- उक्त स्वीकृत धनराशि आहरण की सूचना संबंधित कोषागार की डी०डी०ओ० रिकान्सिलेशन स्टेटमेंट की प्रमाणित प्रति एवं भुगतान का व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र-1 पर शासन को एक सप्ताह के अन्दर अवश्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

उपलब्ध करा दिया जाये। उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह भी अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाये कि देयक का भुगतान दुबारा नहीं किया जा रहा है। उक्त से सम्बन्धित देयक मूलरूप में वापस किये जा रहे हैं।

3- उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या -84 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-'2053-जिला प्रशासन-093-जिला स्थापनाएं-03-कलेक्ट्री स्थापनाएं-22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि के नामें डाला जायेगा।

संलग्नकः (01 मूलरूप तथा 02 देयकों की छायाप्रतियां)

भवदीय,
अजय कुमार ओझा
अनु सचिव।

संख्याः 21/2020/1196 (1) प्रो०/51-2020-14(10)/2020, तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश (प्रथम), इलाहाबाद।
2. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।
3. कोषाधिकारी, बलिया ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ ।
5. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, आजमगढ़।
6. कार्यालय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
अजय कुमार ओझा
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।